यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, देहरादून, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून, के माह जुलाई/2014 से सतम्बर/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री मुन्नाराम लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.10.2017 से 25.10.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर0 क0 जोगी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री वरेन्द्र रावत लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07/07/2014 से 15/07/2014 तक श्री ए0 सी0 कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2012 से 06/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2014 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- सलंग्न

(II) (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	113.79	108.76	325.50	325.50	--	05.03
2015-16	--	--	128.57	120.23	320.62	319.24	--	09.72
2016-17	--	--	135.16	118.80	243.76	234.63	--	25.49
2017-18 (09/2017 तक)	--	--	270.16	158.76	00.00	00.00	--	111.40

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2014-15	--	--	--	--	--
2015-16	पायका	--	02.28	02.28	--
2016-17	--	--	--	--	--
2017-18	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी (जिस श्रेणी के अर्न्तगत इकाई आती है, उसे इंगति कया जाय) की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. अपर स चव 3. निदेशक पदेन 4. अपर निदेशक 5. संयुक्त निदेशक 6. उपनिदेशक 7. सहायक निदेशक 8. सहायक समादेष्टा 9. सहायक लेखा धकारी 10. वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी 11. मुख्य प्रशासनिक अ धकारी 12. मुख्य सहायक 13. वरिष्ठ सहायक 14. कनिष्ठ सहायक 15. वाहन चालक 16. अनुसेवक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं फरवरी 2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून, का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून, के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ...... लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 01 :- विभागीय शिथिलता के फलस्वरूप ₹ 18.25 लाख धनराशि का अवरोधन।

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी, देहरादून द्वारा पत्रांक 2380/.यु.क.-जिला योजना/2015-16 दिनांक 21/03/2016 एवं 2388/यु.क.-जि.यो./मद परिवर्तन/2015-16 दिनांक 22/03/2016 के माध्यम से कये गये अनुरोध पर वचार करते हुए जिला धकारी देहरादून द्वारा पत्रांक 1414/जि.यो./2015-16 दिनांक 26/03/2016 के द्वारा मद परिवर्तित कर ग्राम पंचायत सकरौल, वकास खण्ड कालसी एवं ग्राम पंचायत जो गयो वकास खण्ड चकराता में छोटे खेल मैदानों के निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 10.85 लाख एवं ₹ 7.40 लाख का आवंटन कया गया। उक्त कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण वभाग, देहरादून को कार्यदायी संस्था ना मत कर दिनांक 31/03/2016 को कुल ₹ 18.25 लाख धनरा श का भुगतान कर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा वस्तृत जांच में पाया गया क उक्त दोनो खेल मैदानों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व भू म की उपलब्धता सुनिश्चित नही की गयी। ग्राम पचांयत सकरौल में माह सतम्बर 2017 एवं ग्राम पंचायत जो गयो में माह अप्रैल 2017 में भू म उपलब्ध की जा सकी। जिसके कारण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को प्रारम्भ नही कया जा सका।

ग्राम पंचायत जो गयो में वभाग द्वारा स्थानीय जन प्रतिनि धयों के दबाव में गलत तरीके से कार्यदायी संस्था को परिवर्तित कया गया। जिससे निर्माण कार्य नही हो सका। आति थ (सतम्बर 2017) तक प्रकरण में जांच चल रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति कये जाने पर इकाई ने उत्तर में बतलाया क धनरा श को व्ययगत होने से बचाने के लये उक्त धनरा श को कार्यदायी संस्था को हस्तगत कर दिया गया था। वभाग द्वारा उक्त कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) भी हस्तान्तरित नही कये गये।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है क बिना भू म की उपलब्धता सुनिश्चित कये ही एवं बिना (MOU) कये ₹ 18.25 लाख की धनरा श कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई। जो क लेखापरीक्षा ति थ (सतम्बर 2017) तक कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध पड़ी है।

अतः भू म की अनुपलब्धता एवं समझौता-ज्ञापन के अभाव में कार्यदायी संस्था को ₹ 18.25 लाख की धनरा श अवमुक्त कये जाने एवं अवरूद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर 02 :- ₹ 1.08 लाख का अपुष्ट भुगतान।

माह मार्च 2016 में श्री दिनेश संह चौहान, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी वकास नगर को ₹ 49000/- एवं श्री मनोज कापड़ी क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी रायपुर को ₹ 58.650/- का भुगतान कया गया। जिसमें से श्री चौहान द्वारा 20 स्वंयसेवकों एवं श्री कापड़ी द्वारा 18 स्वंयसेवकों को दैनिक आधार पर मानदेय का भुगतान कया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पाया गया क उक्त स्वयंसेवकों को भुगतान बैंक खातों में करने के स्थान पर नकद धनरा श के रूप में दिया गया। कन्तु मस्टर रोल मे स्वंय सेवकों के हस्ताक्षर नही पाये गये। जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने स्वीकार कया क कतिपय कारणों से बैंक खातों के माध्यम से भुगतान नही कया गया। एवं भुगतान के प्रामा णक अ भलेख सम्बन्धित क्षेत्रीय युवा कल्याण अ धकारी से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जायेगें।

अतः ₹ 1.08 लाख के अपुष्ट भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
06/2003-04	--	1
74/2012-13	--	1,2
53/2014-15	--	
योग	01 (निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई को अप्राप्त है)	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
परिपालन आख्या लेखपरीक्षा कार्य को भेजा जायेगा				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री शक्ति संह	जि.यु.क. एव प्रा.र.द.अ.	21.08.07 से 01.03.17
2.	श्री एस.एस. गुसाई	प्र.जि.यु.क. एव प्रा.र.द.अ.	01.04.17 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी देहरादून, को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.